मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पंजीकरण दिनॉक: निर्णय दिनॉक: अवधि:
05/21/18 03/06/20 1 वर्ष, 9 माह, 14 दिन
माह/दिनॉक/वर्ष माह/दिनॉक/वर्ष

पीठासीनः चंद्रोदय कुमार, एच.जे.एस.

एम.ए.सी.पी.संख्या–200/2018

1. श्रीमती सामुंदरी देवी पत्नी नारायण दास उम्र 38 वर्ष
2. नारायणदास यादव पुत्र बेताली लाल यादव उम्र लगभग 40 वर्ष

निवासीगण ग्राम रूपा धमना थाना व तहसील मऊरानीपुर जिला झाँसी

––––––––याचीगण

(द्वारा अधिवक्ता श्रीमती रेखा गुप्ता)

प्रति

1. संजय कुमार पुत्र श्री श्रीराम निवासी चंदौली थाना खेवाली जिला बाराबंकी

.....मालिक ट्रक नं. UP 41AT 5442

2. संजय पुत्र श्री राजाराम निवासी राधापुरवा थाना देंवा जिला बाराबंकी

.....चालक ट्रक नं. UP 41AT 5442

(विपक्षी सं. 1 व 2 द्वारा अधिवक्ता श्री विकास कुमार मिश्रा)

3. एच.डी.एफ.सी. इरगो जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड जरिये शाखा प्रबन्धक एच.डी.एफ.सी. इरगो जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी सिविल लाईन, झाँसी

.....बीमाकर्ता ट्रक नं. UP 41AT 5442

(द्वारा अधिवक्ता श्री राज तिलक सक्सेना)

––––––––विपक्षीगण

निर्णय

प्रस्तुत याचिका याचीगण द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा 166 व 140 के अन्तर्गत कथित मोटर वाहन दुर्घटना में याचीगण के पुत्र रोहित यादव उर्फ बलदाऊ की मृत्यु के कारण ₹ 26,80,000/– क्षतिपूर्ति हेतु विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में प्रकरण यह है कि दिनॉक 07.02.2018 को समय करीब 12:00 बजे दिन याचीगण का पुत्र रोहित यादव उर्फ बलदा ऊ व संजू यादव अपनी मोटर साइकिल टी.वी.एस. स्पोर्ट (**प्रथम वाहन**) पर बैठकर, जिसे संजू यादव चला रहा था, जैसे ही मऊरानीपुर के रास्ते में झांकरी नहर की पुलिया के ऊपर सड़क पर पहुंचे; पीछे से ट्रक नं. UP 41AT 5442 (**द्वितीय वाहन**) का चालक ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाते हुये आया और रोहित यादव उर्फ बलदाऊ व संजू यादव की मोटर साइकिल में पीछे से टक्कर मार दी जिससे रोहित यादव उर्फ बलदाऊ व संजू यादव की मृत्यु हो गयी। घटना की रिपोर्ट मृतक के पिता नारायणदास ने थाना मऊरानीपुर में दर्ज करायी। मृतक की आयु दुर्घटना के समय 20 वर्ष थी तथा वह मजदूरी करके 10,000/– रुपये प्रतिमाह कमाता था जिससे वह अपने माता–पिता का भरण पोषण करता था।

3. विपक्षी सं. 1 व 2 जो कि क्रमशः प्रश्नगत ट्रक नं. UP 41AT 5442 के स्वामी व चालक हैं, की ओर से 20ए संयुक्त जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये गये हैं कि विपक्षी सं. 2 के पास वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स है व कुशल चालक है। विपक्षीगण का उक्त वाहन घटना के समय विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी के यहॉ समस्त दायित्वों के लिये बीमित था। वाहन बीमा की शर्तों के अनुसार चलाया जाता है अतः क्षतिपूर्ति अदायगी का यदि कोई दायित्व पाया जाता है तो वह विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी का होगा।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.08.13 15:55:08 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi

4. विपक्षी सं. 3 एच.डी.एफ.सी. इरगो इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ट्रक नं. UP 41AT 5442 की बीमा कम्पनी की ओर से जवाबदावा 27B दाखिल किया गया है, जिसमें उसने याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किया गये हैं उक्त कथित दुर्घटना में प्रश्नगत वाहन से कोई दुर्घटना नहीं हुयी है। तथाकथित प्रश्नगत ट्रक के चालक के पास दुर्घटना के समय वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स नहीं था इसलिये विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी का क्षतिपूर्ति अदा किये जाने का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। विपक्षी बीमा कम्पनी का उत्तरदायित्व बीमा पॉलिसी की शर्तो के अनुसार ही होता है अन्यथा नहीं।

5. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनॉक 13.12.2018 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये–

1. क्या दिनॉक 07.02.2018 को समय करीब 12:00 बजे दिन याची का पुत्र रोहित यादव उर्फ बलदाऊ मोटर साइकिल टी.वी.एस. स्पोर्ट पर बैठकर मऊरानीपुर के रास्ते में झाकरी नहर की पुलिया के ऊपर सड़क पर पहुँचे तो पीछे से आ रहे ट्रक नं. UP 41AT 5442 के चालक ने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर रोहित यादव की मोटर साइकिल में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी जिससे रोहित यादव उर्फ बलदाऊ की मौके पर ही मृत्यु हो गयी?

2. क्या दुर्घटना के समय ट्रक नं. UP 41AT 5442 विपक्षी सं. 3 एच.डी.एफ.सी. इरगो जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी के यहॉ बीमित था?

3. क्या दुर्घटना के समय ट्रक नं. UP 41AT 5442 के चालक के पास वैध एवं प्रभावी लाइसेन्स था?

4. क्या याचीगण क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी है, यदि हॉ तो किस विपक्षी से और कितनी?

6. पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं–

1. याचीगण द्वारा फेहरिस्त 7C1 के माध्यम से 8C1 लगायत 9C1 जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, पंजीयन प्रमाणपत्र, डी.एल., बीमा पॉलिसी, परमिट व फिटनेस प्रमाणपत्र की छाया प्रतियॉ शामिल हैं,

2. याचीगण द्वारा फेहरिस्त 32C1 के माध्यम से 33C1/1 लगायत 33C1/21 जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोपपत्र, पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट, नक्शा नजरी, निरीक्षण रिपोर्टस दुर्घटनाग्रस्त वाहनों की सत्य प्रतियॉ शामिल हैं,

3. विपक्षीगण सं. 1व 2 की ओर से फेहरिस्त 21C1 के माध्यम से 22C1/1 लगायत 26C1/2 जिनमें आधार कार्डस, वाहन चालक के ड्राईविंग लाइसेंस, परमिट, पंजीयन प्रमाणपत्र, एथ्योराइजेशन सर्टिफिकेट, टैक्स जमा रसीद, की छाया प्रतियॉ शामिल हैं,

4. याचीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू. 1 के रूप में याचिया श्रीमती सामुंदरी देवी व पी.डब्लू. 2 के रूप में राजपाल को परीक्षित कराया गया है,

5. विपक्षीगण की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य दाखिल नहीं की गयी है।

7. मैंने उभयपक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन किया।

8. **<u>निस्तारण वाद बिन्दु सं. 1</u>**

चक्षुदर्शी पी.डब्लू. 2 ने कथन किया है कि दिनॉक 07.02.2018 को समय लगभग 12 बजे दिन में रोहित यादव उर्फ बलदाऊ व संजू यादव अपनी मोटर साइकिल टी.वी.एस. स्पोर्ट पर बैठकर मऊरानीपुर के रास्ते में अपने गॉव जा रहे थे जिसको सन्जू चला रहा था, रोहित पीछे बैठा था। जैसे ही मऊरानीपुर की झाकरी नहर की पुलिया पर पहुंचे कि

पीछे की ओर से ट्रक सं. UP 41AT 5442 का चालक ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ आया और मोटर साइकिल में जोरदार टक्कर मार दी, रोहित यादव व संजू गम्भीर रूप से घायल हो गये एवम् उनकी मौत हो गयी।

9. प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्य प्रति 33C1/1 लगायत 33C1/4 व आरोपपत्र की सत्य प्रति 33C1/5 लगायत 33C1/7 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त दुर्घटना में सम्बन्धित थाने में ट्रक सं. UP 41AT 5442 के चालक नाम पता अज्ञात के विरूद्ध घटना के दिनॉक 07.02.2018 को ही मुकदमा अपराध सं. 72/2018 पंजीकृत किया गया तथा उक्त अपराध में उक्त ट्रक के चालक अभियुक्त संजय के विरूद्ध आरोपपत्र दाखिल किया गया है।

10. दुर्घटनास्थल के नक्शा नजरी की सत्य प्रतिलिपि 33C1/17 देखने से स्पष्ट होता है इस दुर्घटना में ट्रक चालक की ही उपेक्षा रही है। नक्शा नजरी निम्न प्रकार है–

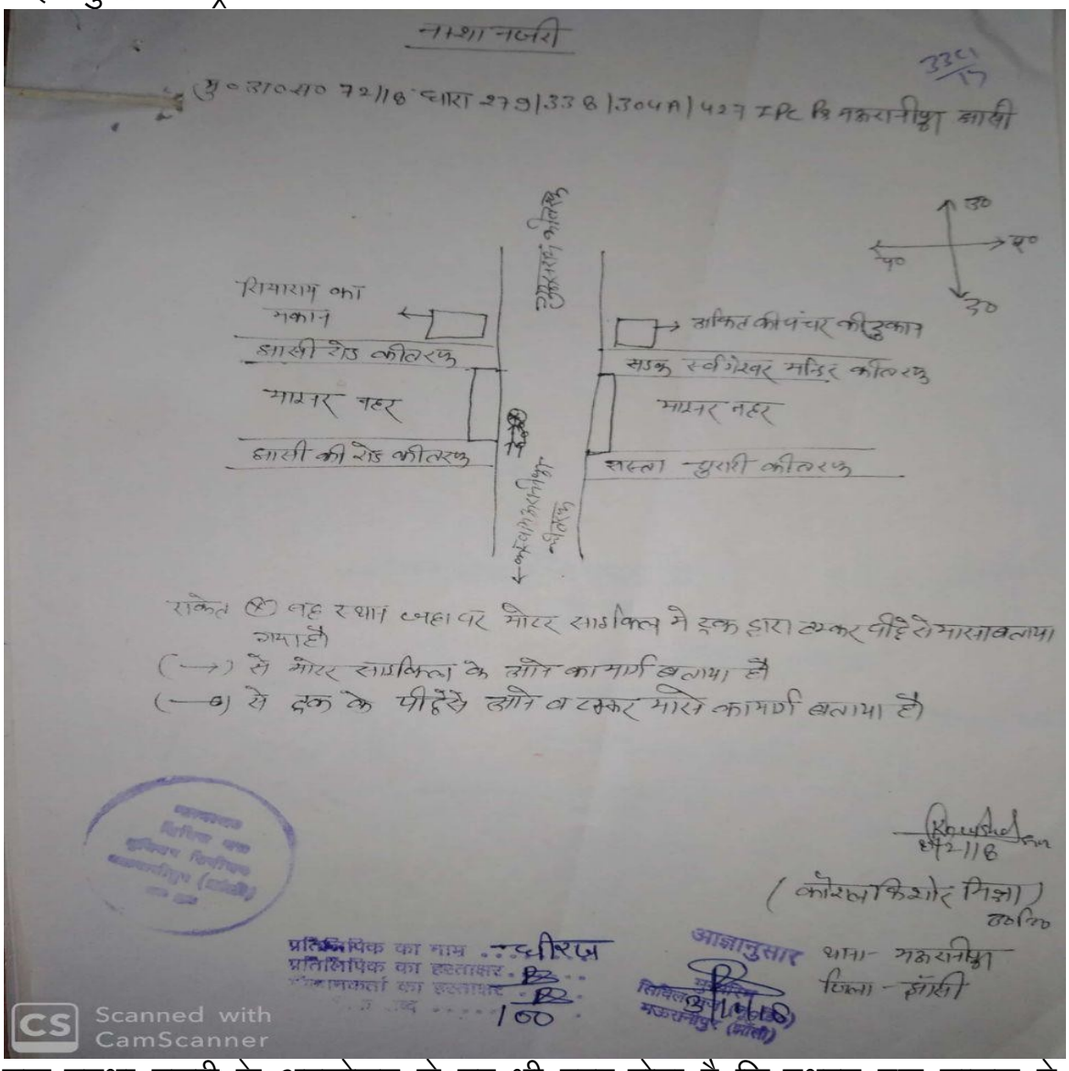

उक्त नक्शा नजरी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत ट्रक चालक ने मोटरसाइकिल में पीछे से टक्कर मारी है। प्रश्नगत दुर्घटना में एकमात्र ट्रक चालक की उपेक्षा से दुर्घटना घटित हुई है। तदनुसार वाद बिंदु सं. 1 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

11. **<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 2</u>**

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर याची की ओर से प्रपत्र सं. 9C1/3 बीमा पॉलिसी की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार प्रश्नगत ट्रक इंजन सं. ISB 5980407IL63637343, चेसिस सं. MAT 541024H1N2543 का बीमा दिनॉक

23.12.2017 से 22.12.2018 तक प्रभावी है। प्रपत्र सं. 9C1 आर.सी. के अनुसार उक्त इंजन सं. व चेसिस सं. ट्रक नं. UP 41AT 5442 के रूप मे पंजीकृत है। इस पॉलिसी का खंडन बीमा कम्पनी द्वारा नही किया जा सका है। घटना दिनॉक 07.02.2018 की है। इस प्रकार वाद बिन्दु सं. 2 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

12. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 3</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर याची की ओर से प्रपत्र सं. 9C1/2 ट्रक चालक संजय कुमार पुत्र राजाराम की चालन अनुज्ञप्ति की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है जो दिनॉक 30.04.2007 से 29.04.2020 तक ट्रांसपोर्ट वाहन के लिए प्रभावी है। इस अनुज्ञप्ति का खंडन बीमा कम्पनी द्वारा नही किया जा सका है। घटना दिनॉक 07.02.2018 की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ट्रक नं. UP 41AT 5442 के चालक के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति थी। अत: वाद बिन्दु सं. 2 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

13. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 4</u>

चूंकि दुर्घटना ट्रक नं. UP 41AT 5442 के चालक की तेजी व लापरवाही के कारण हुयी है और दुर्घटना में याची सं. 1 व 2 के पुत्र की मृत्यु हुयी है। पी.डब्लू.1 के रूप में याची सं. 1 सामुंदरी देवी ने स्वयं को व याची 2 नारायण दास यादव को मृतक पर निर्भर होना बताया है। अतः याचीगण क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अब प्रश्न यह है कि किस विपक्षी से और कितनी कितनी? चूंकि वाद बिन्दु सं. 1, 2 व 3 सकारात्मक रूप से निर्णीत किये गये हैं अतः क्षतिपूर्ति का दायित्व विपक्षी सं. 3 एच.डी.एफ.सी. जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड का है।

14. <u>क्षतिपूर्ति की गणना–</u>

पी.डब्लू. 1 जो कि हितबद्ध साक्षी है ने मजदूरी से मृतक की आय ₹ 10,000/– प्रतिमाह बताई है किंतु मृतक की आय का कोई प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। इन परिस्थितियों में नोशनल आय को संज्ञान में लेना ही न्यायोचित होगा विधि व्यवस्था Laxmi Devi and Ors. vs. Mohammad Tabbar and Ors. (25.03.2008 – SC) : MANU/SC/7368/2008 मे माननीय उच्चतम न्याालय द्वारा अकुशल मजदूर के लिए 12 वर्ष पूर्व ₹100 प्रति दिन की मजदूरी उचित मानी है। विधि व्यवस्था Chandrawati vs. Shushil Kumar and Ors. (01.08.2018 — ALLHC) : MANU/UP/2954/2018 मे माननीय उच्च न्याालय इलाहाबाद द्वारा अकुशल मजदूर के लिए ₹ 200 प्रति दिन की मजदूरी उचित मानी है। उल्लेखनीय है कि भारत मे असंगठित क्षेत्र के कार्मिक को पूरे वर्ष रोजगार नही मिलता है। वास्तव मे कल्पित आय एक अनुमान है जो काल, स्थान व परिस्थितयों पर आधारित होता है। माह मे औसतन चार दिन कार्य न लग पाने की संभावना रहती है। इस प्रकार कल्पित आय (Notional Income) ₹165 निर्धारित की जाती है।

15. पी.डब्लू. 1 ने मृतक की आयु 20 वर्ष बतायी है तथा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी मृतक की आयु 20 वर्ष अंकित है हलॉकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयु का निश्चायक सबूत नहीं होती है किंतु चूॅकि पी.डब्लू. 1 ने मृतक की आयु 20 वर्ष बताई है जिसका खंडन नहीं हो सका है अतः मैं इस निष्कर्ष का हूॅ कि मृतक की आयु 20 वर्ष की थी। विधि व्यवस्था National Insurance Company Limited vs. Pranay Sethi and Ors. (31.10.2017 – SC) : MANU/SC/1366/2017 के अनुसार 18 का गुणक, 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए 40 % भविष्य मे प्रत्याशा की वृद्धि, चूंकि मृतक अविवाहित था अत: स्वयं के खर्च पर 1/2 भाग की कटौती, याचीगण के पुत्र की मृत्यु के दृष्टिगत

संपदा की क्षति के लिए ₹ 15,000/– तथा दाह संस्कार के लिए ₹ 15,000/– निर्धारित किये जाते हैं।

वार्षिक आय= आय प्रतिदिन x माह के दिन x वर्ष के माह	165	30	12	59400
भविष्य प्रत्याशा (प्रतिशत में)			40	23760
स्वयं पर खर्च (भाग में)			2	41580
स्वयं पर खर्च घटाने पर (गुण्य)				41580
गुणक			18	748440
वैवाहिक साहचर्य की क्षति			0	748440
संपदा की क्षति			15000	763440
अंतिम संस्कार पर खर्च			15000	**778440**
प्रथम वाहन की योगदायी उपेक्षा (प्रतिशत में)			0	0
द्वितीय वाहन की योगदायी उपेक्षा (प्रतिशत में)			100	778440
देय क्षतिपूर्ति				**778440**

इस प्रकार क्षतिपूर्ति की कुल धनराशि ₹ 7,78,440/– आती है। विधि व्यवस्था National Insurance Company Ltd. vs. Mannat Johal and Ors. (23.04.2019 – SC) : MANU/SC/0589/2019 के आलोक मे 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा। चूँकि याचीगण मृतक के माता–पिता हैं अतः उक्त प्रतिकर की धनराशि में से दोनों याचीगण के मध्य 50–50 प्रतिशत के अनुपात में बंटवारा न्यायोचित होगा। विधि व्यवस्था Jai Prakash vs. National Insurance Co. Ltd. and Ors. (17.12.2009 – SC) : MANU/SC/1949/2009 के आलोक मे क्षतिपूर्ति धनराशि की सावधि जमा से प्रत्येक माह ब्याज प्राप्त करने की योजना बनाया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

याचीगण की याचिका विपक्षी सं. 3 एच.डी.एफ.सी. इरगो जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के विरुद्ध क्षतिपूर्ति धनराशि ₹ 7,78,440/– (सात लाख अठहत्तर हजार चार सौ चालीस) मय 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, के लिए आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विपक्षी संख्या 3 एच.डी.एफ.सी. इरगो जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह याचीगण को निर्णय के दिनॉक से 30 दिन के अंदर क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान कर दे।

याची सं. 1 व 2 क्षतिपूर्ति की धनराशि का क्रमश: 50–50 प्रतिशत भाग प्राप्त करेगें तथा याची संख्या 1 व 2 की धनराशि का 80% भाग सर्वोच्च ब्याज दर देने वाली सावधि जमा मे 3 और 5 वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक मे रखे जांएगे जिसका प्रतिमाह ब्याज याचीगण प्राप्त करते रहेंगें। याची संख्या 1, 2 की इच्छा पर 3 व 5 वर्ष के पश्चात धनराशि पुनर्निवेशित की जा सकेगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

दिनॉक 06.03.2020

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनॉकित कर खुले न्यायालय मे उदघोषित किया गया।

दिनॉक 06.03.2020

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी